



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122020-223919
CG-DL-E-24122020-223919

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4120]
No. 4120]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 2020/पौष 3, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 2020/PAUSHA 3, 1942

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(एमआरटीएस-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4683(अ).—केंद्रीय सरकार, भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 1 की उपधारा (3) और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त उक्त अधिनियमों के उपबंध मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल महानगरीय क्षेत्र और इंदौर महानगरीय क्षेत्र पर भी क्रमशः विस्तार किया जाएगा।

[फा.सं. के-14011/4/2019-एमआरटीएस-II]

जयदीप, विशेष कार्याधिकारी (यूटी) और

पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**(MRTS-II)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 2020

S.O. 4683(E).—In exercise of the powers conferred by sub- section (3) of section 1 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) and sub- section (2) of section 1 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government, after consultation with the Government of Madhya Pradesh, hereby declare that the provisions of the said Acts, shall respectively extend to Bhopal Metropolitan Area and Indore Metropolitan Area in the State of Madhya Pradesh with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F.No. K-14011/4/2019-MRTS-II]

JAIDEEP, OSD (UT) and Ex-Officio Jt. Secy.